छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/10/2024

क्रमांक एफ 2–4/2019/19/स्था–1:: अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 29.05.2020 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हुई थी । उक्त बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार 09 अधिकारियों का नाम चयन सूची में रखा गया, जिसमें विभागीय आदेश दिनांक दिनांक 29.05.2020 द्वारा 1. श्री संतोष कुमार कोरी, 2. श्री एस.के.शर्मा, 3. श्री ए.के.मंधान, 4. श्री ए.के.चक्रवर्ती, 5. श्री पी.एन.साय, 6. श्री जे.एम.लुलु, 7. श्री पाण्डेश्वर साय, 8. श्री एम.एल. उरांव एवं विभागीय आदेश दिनांक 01.06.2020. द्वारा श्री ज्ञानेश्वर कश्यप को मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था।

2/ उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से श्री पी.एन.साय एवं श्री पाण्डेश्वर साय को मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में विभागीय आदेश दिनांक 03.02.2023 द्वारा वर्ष 2010 से मुख्य अभियंता के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की गई है।

3/ कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.09.2007 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2020 में पुनरीक्षित बैठक आयोजित किया जाकर, समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2020 द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ–साथ श्री पी.एम.कश्यप को वर्ष 2007 से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान कर वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप, श्री कश्यप द्वारा वर्ष 2020 से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

4/ कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.12.2010 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार श्री एन.के.जयंत का नाम ''बंद लिफाफा'' में रखा गया था । श्री जयंत के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उनके ''बंद लिफाफा'' को खोला जाकर विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2021 द्वारा उन्हें दिनांक 28.12.2010 से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अधीक्षण अभियंता के पद पर उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है । विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2021 के संदर्भ में श्री जयंत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उन्हें वर्ष 2010 से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने एवं वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप, वर्ष 2020 से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

निरंतर........2

5/ तद्नुसार विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुक्रम में श्री पी.एम.कश्यप एवं श्री एन.के.जयंत के नाम को शामिल किया गया।

6/ अतः विभागीय पत्र दिनांक 15.02.2024 द्वारा दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में अधीक्षण अभियंता (सिविल) की जारी संशोधित अंतिम पदक्रम सूची के आधार पर श्री पी.एम.कश्यप एवं श्री एन.के.जयंत के नाम पर, विचार किये जाने हेतु दिनांक 29.05.2020 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को पुनरीक्षित किये जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया। पुनरीक्षित बैठक आयोजित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 07.06.2024 को लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।

7/ अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 29.05.2020 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.10.2024 को आयोजित हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार श्री एन.के. जयंत एवं श्री पी.एम. कश्यप को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया।

8/ राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन.के. जंयत एवं श्री पी.एम. कश्यप को भूतलक्षी प्रभाव से **"कार्य नही वेतन नहीं"** के सिद्धात पर दिनांक 29.05.2020 से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपए 37400–67000/–ग्रेड वेतन 8900/–(सातवें वेतनमान के मैट्रिक्स लेवल–16) में पदोन्नत करता है।

9/ अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.10.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार, चयन सूची के आधार पर दिनांक 01.04.2021 की स्थिति से मुख्य अभियंताओं (सिविल) की पदक्रम सूची का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.एम.अग्रवाल)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग

निरंतर.....3

पृ.क्रमांक 2–4 / 2019 / 19 / स्था.–1 अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 30/ 10 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
3. महालेखाकार, जीरो पाईंट, रायपुर।
4. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर।
5. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़।
7. परियोजना निदेशक, एडीबी प्रोजेक्ट, रायपुर।
8. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़।
9. कलेक्टर जिला .... छत्तीसगढ़।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला ...., छत्तीसगढ़।
11. संबंधित अधिकारीगण (नाम से) श्री ....
12. सर्वर प्रभारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. आर्डर बुक हेतु।

-sd-

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग